10.7.2020

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 51/18-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम मे हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है- मौजा-आमाघाटा मौजा न0-09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकबा 05 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी-।। के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 200 पर जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति सीता राम ठाकुर के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे। (हस्ताक्षर) 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 05 कटठा भूमि से संबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमांबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया, परतु रैयत के संबध में खोज–बीन किया परंतु पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख मे संलग्न है। संबधित राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज वाद सं0 1120(II)1992–93 के अनुसार जमांबदी कायम है

अतः– संबधित राजस्व कर्मचारी /अंचल निरिक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमांबदी रद्द अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एंव सशोधित।

20.6.20

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner